न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :– 130/2019

1. रामेश्वर ~~दयाल~~ प्रसाद शर्मा आयु 48 साल आ0 नन्दलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी भीया तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0

–वादी

बनाम

1. नन्दलाल आयु 79 साल आ0 रामनाथ जाति ब्राह्म्ण निवासी भीया तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. लोकेश कुमार शर्मा आयु 44 साल आ0 नन्दलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी भीया तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी राज0

– प्रतिवादीगण

वाद :–अधिकार घोषणा

अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :–

1. वादी की और से श्री रामकिशन प्रजापत, एडवोकेट
2. प्रति0 की और से श्री मुकेश कुमार सुमन, एडवोकेट।

–: निर्णय :–

दिनांक –13.09.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 31.07.2019 को यह वाद अधिकार घोषणा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता सं. नई 241 पुरानी 227 के ख.सं. 181 रकबा 2.18 है0, ख.सं. 225 रकबा 2.61 है0, ख.सं.

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

531 रकबा 1.59 है0, ख.सं. 1703 रकबा 1.07 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.45 है0 वाके ग्राम व माल भीया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। जिसके वर्तमान खातेदार प्रतिवादी सं. 1 नन्दलाल है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 की पैतृक कृषि भूमि है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 को कानूनी अधिकार प्राप्त है। मूल पुरूष नन्दलाल है, प्रतिवादी के पुत्र वादी व प्रतिवादी सं. 2 है। जिसमें वादी 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का पारिवारिक विभाजन आज से लगभग 10–12 वर्ष पूर्व हो चुका है एवं उसी विभाजन के अनुरूप वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 है जो बीमार होने की वजह से चलने फिरने में असमर्थ है। जिससे बैंक से ऋण लेने व लगान पिलाई जमा कराने में व फसलो की तुलाई करवाने में काफी परेशानी आती है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 को विधिवत रूप से 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावें।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगाायत 2 की और से दिनांक 12.09.2019 को राजीनामा पेश किया गया।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 12.09.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता सं. नई 241 पुरानी 227 के ख.सं. 181 रकबा 2.18 है0, ख.सं. 225 रकबा 2.61 है0, ख.सं. 531 रकबा 1.59 है0, ख.सं. 1703 रकबा 1.07 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.45 है0 वाके ग्राम व माल भीया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 को 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

13/9/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

रामेश्वर ~~दयाल~~ प्रसाद शर्मा V/S नन्दलाल वगै0

वाद– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 130/2019

वादी की ओर से श्री रामकिशन प्रजापत, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री मुकेश कुमार सुमन, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 13.09.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

" वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता सं. नई 241 पुरानी 227 के ख.सं. 181 रकबा 2.18 है0, ख.सं. 225 रकबा 2.61 है0, ख. सं. 531 रकबा 1.59 है0, ख.सं. 1703 रकबा 1.07 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.45 है0 वाके ग्राम व माल भीया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 को 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। "

नीज ....ग.................. मुबलिक ....ग.................. बाबत ....ग.............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह ....ग.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग.................. को अदा करे।

बसब्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.09.2019 को जारी की गई।

मोहर

(उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन — seal)

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner